भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1673

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

हिमाचल प्रदेश में सीआरआईएफ निधि

1673. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सीआरआईएफ के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) कांगड़ा और चंबा जिलों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार, राज्य की सड़कों और पुलों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार निधियां आवंटित करती है।

(ख) सीआरआईएफ योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अब तक 2390.40 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 196 सड़क और पुल परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सीआरआईएफ और सेतुबंधन योजना के तहत क्रमशः 1309.25 करोड़ रुपये और 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

(ग) केन्द्र सरकार सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत पहले से जारी निधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवंटन और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर जिला-वार नहीं बल्कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आवंटित और जारी करती है। कांगड़ा और चम्बा जिलों के लिए अब तक क्रमशः 541.75 करोड़ रुपये लागत की 46 सड़क और पुल परियोजनाएं तथा 137.57 करोड़ रुपये लागत की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

*****